संख्या-540/2018/92/22-2-2018-17(104)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लडैते उर्फ रामलडैते पुत्र श्री श्यामसुन्दर निवासी जनपद-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-745/प्रोबे-5-द0या0/बैठक-17.12.2017 दिनांक 05.01.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार कारागार ने केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लडैते उर्फ रामलडैते पुत्र श्री श्यामसुन्दर, जो-पकरिया, थाना-महोली, जनपद-सीतापुर की रहने वाली है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.11.1996 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-620/1977 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं-6,सीतापुर के आदेश दिनांक 12.09.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.11.2017 तक 13 वर्ष 06 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 11 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति व आयु तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी लडैते उर्फ रामलडैते (बन्दी संख्या-44198) पुत्र श्री श्यामसुन्दर निवासी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-540/2018/92(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in